संख्या-765/नौ-4-11-35ज/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी 2011

विषय-प्रदेश की नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गैर सरकारी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के बिलों की प्रतिपूर्ति नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार नहीं की जा रही है।

2- उल्लेखनीय है कि चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-2428/पांच-6-97-294/96, दिनांक-23.07.1997, संख्या-3975/पांच-6-97-294/96, दिनांक-01.01.1998, संख्या-1135/पांच-6-2001-294/96, दिनांक-27.06.2001 एवं शासनादेश संख्या-1209/पांच-6-2004-294/96टीसी, दिनांक-09.08.2004 द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, फिर भी उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है।

3- अतः उक्त के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गैर सरकारी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के बिलों की प्रतिपूर्ति चिकित्सा विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्दैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से भी समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
21.3.11
(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

GO-Princ-Secy-NV-3